

पा.का.सं. 80/23

16.4.26

~~वकील प्रार्थी के विवेक~~

पर पतावली आज पेश हुई
 बुकबाद हुए। वकील प्रार्थी
 ने जो पत्र प्रस्तुत कर
 प्रकरण को आगे लंबित
 नहीं रखने का तथा
 जस्टिस विद्वावत निस्कारित
 करने का विवेक किया।
 अतः प्रकरण जस्टिस विद्वावत
 स्वार्थित किया जाता है।
 पतावली के लिये शुभार
 ही नोट से कर
 होकर वाविल दफ्तार
 ही

अपर कलेक्टर, जयपुर